रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102026-277398
CG-DL-E-24102026-277398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 841] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948
No. 841] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2026

सं. 01/2026- स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 912(अ).— स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 1 अक्तूबर, 2026 से आरंभ होने वाले और 30 सितंबर, 2027 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीचे निर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती का स्थान

अफीम पोस्त की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है।

2. खेती के लिए पात्रता

इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन, निम्नलिखित किसान (विधिक वारिसों सहित) लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे:

(i) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की हो और प्रति हेक्टेयर 4.4 किलोग्राम से कम मॉर्फिन (एमक्यूवाई-एम) की औसत उपज पेश नहीं की हो।

नोट- किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में पेश की गई अफीम में मॉर्फिन की औसत अर्हक उपज को इसके बाद अधिसूचना में न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई-एम) कहा जाएगा।

(ii) ऐसे किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी।

(iii) वे किसान जिनके लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2025-26 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) किसान जिसे फसल वर्ष 2025-26 के लिए फार्म संख्या 1 (नियम 7 देखें) के कॉलम संख्या 11 में मृतक पात्र किसान द्वारा नामित किया गया हो।

(v) जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृतक पात्र कृषकों के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक, ऐसे मामलों में जहां किसी कारण से फॉर्म संख्या 1 में नामांकन नहीं किया गया है या फॉर्म संख्या 1 में परिवार के सदस्यों / रक्त संबंधियों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति का नामांकन किया गया है।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:

(i) उसने वास्तविक खेती के दौरान फसल वर्ष 2025-26 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो।

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो।

(iii) उसने फसल वर्ष 2025-26 के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो/स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो।

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) उपर्युक्त खंड 2 के अंतर्गत पात्र सभी किसानों को केवल एक प्लॉट में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नम्बरों में फैला हुआ हो सकता है।

(ii) किसानों को, यदि वे चाहें तो, लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति होगी।

5. पूर्व चेतावनी

(i) आने वाले वर्ष अर्थात् 2027-28 में खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2026-27 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्युवाई-एम) देना जरूरी है।

(ii) वर्ष 2026-27 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2026-27 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2027-2028 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उन्होंने फसल वर्ष 2026-27 में भी पुन: अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।

(iv) फसल वर्ष 2026-27 में अपनी पूरी खसखस की फसल को पूरी तरह से जोतने वाले कृषक पोस्ता के भूसे, जिससे फसल वर्ष 2027-28 के लिए लान्सिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाएगा, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्ता की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे।

(v) फसल वर्ष 2026-27 के लिए अफीम नीति के तहत लान्सिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस के लिए पात्र कृषक, लेकिन किसी कारण से लाइसेंस प्राप्त नहीं करते हैं, या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी कारण से वास्तव में अफीम पोस्ता की खेती नहीं करते हैं, वे फसल वर्ष 2027-28 के लिए पोस्ता भूसा, जिससे लान्सिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्ता की खेती के लिए पात्र होंगे।

6. क्षम्य सीमा

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

(i) फसल वर्ष 2026-27 के दौरान अफीम गोंद के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए पात्र किसानों को आवेदन पत्र संख्या 1 में भूखंड के मालिक का विवरण, उस भूखंड की सर्वेक्षण संख्या आदि देनी होगी जिसमें वे अफीम पोस्त की फसल उगाने का इरादा रखते हैं और साथ ही नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्देशित कोई अन्य विवरण भी देना होगा।

(ii) ये सामान्य लाइसेंसिंग शर्तें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जब भी उचित समझा जाए, स्वापक आयुक्त/ स्वापक उप-आयुक्त के लाइसेंस जारी करने/रोकने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

(iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने (निर्धारित न्यूनतम अर्हक) उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iv) कृषक द्वारा प्रस्तुत अफीम का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ, राजकीय अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाना, नीमच या गाजीपुर द्वारा विश्लेषण के आधार पर, या तो कृषक द्वारा प्रस्तुत अफीम की मात्रा के 70° सांद्रता के आधार पर या मार्फीन की मात्रा के आधार पर की जाएगी, यदि सरकार ऐसा करने का निर्णय लेती है।

(v) ऐसे कृषकों के संबंध में जिनके पास किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है, लेकिन वे निकटवर्ती गांव में निवास करते हैं, ऐसे कृषकों को अपने निवास में अफीम का भंडारण करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे गांवों के बीच निरंतर मानव बस्तियां हों।

(vi) पात्र किसानों के नाम सीबीएन वेबसाइट (cbn.gov.in) और/या सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल (cbnonline.gov.in) पर अपलोड किए जाएंगे और दिए गए मोबाइल नंबर पर संदेश, मेल आदि जैसे अन्य माध्यमों से सूचित किया जा सकता है। पात्रता सूची में सूचीबद्ध किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करेंगे।

(vii) मौजूदा लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी सीबीएन के पास पहले से ही है। पिछले वर्ष से किसी भी परिवर्तन के मामले में जानकारी प्रदान की जाएगी।

(viii) अफीम नीति 2026-27 के हिन्दी संस्करण के किसी पैरा में यदि कोई अंतर हो तो उसका अंग्रेजी संस्करण ही अपनाया जाएगा।

[फा. सं. एन-14011/1/2026-एनसी-1]

आशीष कुमार शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

No. 01 /2026-Narcotics Control-I

G.S.R. 912(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy for obtaining opium gum through lancing on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2026 and ending with the 30th day of September, 2027.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following cultivators (including legal heirs) shall be eligible for a license to cultivate opium poppy for obtaining opium gum through lancing:

Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2025-26 and tendered an average yield of Morphine (MQY-M) not less than 4.4 kg per hectare.

Note- Average qualifying yield of Morphine in opium tendered in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY-M) in the notification hereinafter.

ii. Cultivators who ploughed back their entire poppy crop, cultivated during the crop year, 2023-24, 2024-25 and 2025-26 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2022-23.

iii. Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2025-26.

iv. Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2025-26.

v. One of legal heirs of deceased eligible cultivators as determined by the District Opium Officer after following the due process, in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason or nomination of person not falling under definition of family members/ blood relatives in Form No. 1 is made.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

i. He/ She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2025-26 beyond the 5% ‘Condonable Limit’ allowed in the licensing policy.

ii. He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made there under.

iii. He/she did not, during the crop year 2025-26, violated any of the departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

i. All the cultivators eligible under clause 2 above will be issued license of 0.10 Hectare in one plot only. This plot may be spread across more than one revenue khasra numbers.

ii. Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

i. A minimum qualifying yield (MQY–M) of 5.9 Kg Morphine/ Hectare of Morphine in opium tendered should be achieved during the crop year 2026-27 to become eligible for a license to cultivate in the following year i.e. 2027-28.

ii. Morphine content of opium tendered during 2026-27 may become the basis for payment for the crop year 2026-27, if the Government decides to do so in this regard.

iii. Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2024-25 and 2025-26 would not be eligible for license in crop year 2027-28, if they have also ploughed back their crop fully in the crop year 2026-27.

iv. Cultivators who have fully ploughed back their entire poppy crop in crop year 2026-27 would be eligible for licence to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing for the crop year 2027-28.

v. Cultivators who are eligible for a license for cultivation of opium poppy for obtaining opium gum through lancing under the opium policy for the crop year 2026-27 but do not obtain license for any reason, or who after having obtained a license, do not actually cultivate opium poppy due to any reason, would be eligible for cultivation of opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing for the crop year 2027-28.

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation may be condoned.

7. Miscellaneous

i. The cultivators eligible for issue of license for opium poppy cultivation for production of Gum Opium during the Crop Year 2026-27 shall provide in the Application Form No. 1 the details of owner of the plot, survey number etc of the plot in which they are intending to cultivate opium poppy crop as well as any other details as may be suitable and reasonably notified by the Narcotics Commissioner.

ii. These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

iii. The license shall be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency for obtaining opium gum or poppy straw without extraction of opium. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he/ she has

tendered the stipulated MQY-M and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the Average yield.

iv. For the purpose of making payment of opium tendered by the cultivator, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur, either on the quantity of opium tendered by a farmer calculated at 70° consistency or on the morphine content basis, if government decides to do so.

v. In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in the adjacent village, such cultivators may be allowed to store opium in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

vi. The name of eligible cultivators will be uploaded on CBN website(cbn.gov.in) and/or CBN online portal (cbnonline.gov.in) and may be communicated through other means like messages on given mobile number, mails etc. The cultivators listed in the eligibility list shall apply through online mode on CBN Online Portal for obtaining license within the stipulated timeline.

vii. Existing licenses shall not be required to submit paper for which information is already with CBN. Information will be provided in case of any changes from previous year.

viii. If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2026-27, then, English version of same shall be followed.

[F. No. N-14011/1/2026-NC-1]

ASHISH KUMAR SHUKLA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.24 12:04:16 +05'30'